

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

कमांक: प.8(32)राज/वाद/19पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 28-2-2023

:: आदेश ::

निम्नांकित अभियोजकगण की उनके नाम के सम्मुख कॉलम सं04 में वर्णितानुसार सेवा अवधि में एतद्वारा वृद्धि की जाती है:-

क.सं.	नाम अभियोजक	पद नाम	सेवा वृद्धि
1	2	3	4
1	श्री हनवन्तसिंह राणावत	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सुमेरपुर जिला पाली	दिनांक 01.08.22 से 31.07.23 तक
2	श्री कपिल टोडावत	लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, उदयपुर	दिनांक 01.08.22 से 31.07.23 तक भविष्य में सफलता प्रतिशत में वृद्धि किये जाने की चेतावनी के साथ


आज्ञा से

३०

(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

  
(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि